



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.:

Date: 24/03/2021

अल्पकालिक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ

संदर्भ. सं. / Ref. No: दिनांक / Date: 24-03-2021

प्रेस विज्ञप्ति

Press Release

अल्पकालिक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ

Short-term Covid specific health insurance policies

आईआरडीएआई ने सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अल्पकालिक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश 31 मार्च, 2021 तक करने की अनुमति दी है, संदर्भ परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/156/06/2020 दिनांकित 23.06.2020 ।

IRDAI permitted all general and health insurance companies to offer short term Covid specific health insurance policies vide circular ref. no: IRDAI/HLT/REG/CIR/156/06/2020 dated 23.06.2020 till 31st March, 2021.

आईआरडीएआई ने दो मानक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा उत्पाद "कोरोना कवच पॉलिसी" संदर्भ, परिपत्र संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/163/06/2020 दिनांकित 26.09.2020 और "कोरोना रक्षक पॉलिसी" संदर्भ, परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/164/06/2020 दिनांकित 26.06.2020। इन दोनों उत्पादों को भी 31.03.2021 तक पेश करते रहने की अनुमति दी गयी है।

IRDAI also introduced two Standard Covid specific health insurance products "Corona Kavach Policy" vide circular ref. no: IRDAI/HLT/REG/CIR/163/06/2020 dated 26.09.2020 and "Corona Rakshak Policy" vide circular ref. no: IRDAI/HLT/REG/CIR/164/06/2020 dated 26.06.2020. These two products were also permitted to be offered till 31.03.2021.

वर्तमान कोविड स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया है कि 30.09.2021 तक "कोरोना कवच पॉलिसी" और "कोरोना रक्षक पॉलिसी" सहित अल्पकालिक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य पॉलिसियों को पेश करने और नवीकरण करने की सभी बीमाकर्ताओं को अनुमति दी जाय।

Taking the prevailing Covid situation into consideration, it is decided to allow all insurers to offer and renew short term Covid specific health policies including “Corona Kavach Policy” and “Corona Rakshak Policy” up to 30.9.2021.